बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–3/अ0प्र0–1–105/2009 1799 /पटना, दिनांक :– 3.12.2020

श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल–2, बक्सर अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरैन्जा नारायणपुर रोड से चिलिबिला पथ एवं बक्सर धनसोई पथ से सरस्वती पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 20311 अनु0 दिनांक 12.12.2011 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 17.01.2012 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए उक्त आरोपों पर संकल्प ज्ञापांक 2573 अनु0 दिनांक 05.07.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री गोपाल नारायण सिंह, उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया ।

3. विभागीय जाँच आयुक्त के ज्ञापांक 694 दिनांक 04.10.2013 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर विभागीय जाँच आयुक्त को मामला हस्तांतरित कर दिया गया।

4. इस बीच श्री गुप्ता के दिनांक 30.06.2014 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 2260 दिनांक 17.07.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

5. अपर विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 127 अनु0 दिनांक 06.11.2014 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–2(iii) को अंशतः प्रमाणित तथा शेष आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या–2(iii) बक्सर धनसोई पथ से सरस्वती पथ में कहीं–कहीं कराये गये GSB में लोकल बालू पाये जाने, कहीं–कहीं पर कुछ पत्थर पाये जाने तथा जी0एस0बी0 की मुटाई एवं इसकी गुणवत्ता विशिष्टि के अनुरूप नहीं हाने से संबंधित है।

6. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक 1928 अनु0 दिनांक 17.06.2016 द्वारा अंशतः प्रमाणित आरोप संख्या–2(iii) के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

7. श्री गुप्ता द्वारा समर्पित अपने द्वितीय बचाव बयान दिनांक 06.07.2017 में कहा गया है कि जॉच दल द्वारा स्थल जॉच के समय जी0एस0बी0 की मुटाई मापने के संदर्भ में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। जॉच दल द्वारा पूरे क्रॉस सेक्शन में एक भी जगह मुटाई नहीं मापी गयी। गलत जॉच के आधार पर उन्हें आरोपित नहीं बनाया जा सकता है।

8. श्री गुप्ता के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी और पाया गया कि जॉच दल द्वारा पथ के पॉच स्थानों पर जी0एस0बी0 की मुटाई मापी गयी और सभी स्थानों पर जी0एस0बी0 की मुटाई कम पायी गई। यह जी0एस0बी0 की मुटाई में कमी को स्पष्ट करता

है। इसी आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–2(iii) को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। अतएव श्री गुप्ता का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री गुप्ता द्वारा दिये गये द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए श्री गुप्ता को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षो तक 50 (पचास) प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. श्री गुप्ता के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 401 अनु0 दिनांक 21.01.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 542 दिनांक 17.06.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास, पताः–मो0–विजयनगर, रोड नं0–5, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना–14 के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत **पेंशन से अगले पाँच वर्षो तक 50 (पचास) प्रतिशत की मासिक कटौती** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/12/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–105/2009 1800 /पटना, दिनांक :– 3-12-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

1/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–105/2009 1800 /पटना, दिनांक :– 3-12-2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12/2020.

अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—105/2009 1800 /पटना, दिनांक :— 3/12.2020

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास/प्रशाखा पदाधिकारी—6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय ओई0टी0 मैनेजर/श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—2, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास, पताः—मो0—विजयनगर, रोड नं0—5, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना—14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12/2020

अपर सचिव